2005 का अधिनियम 29

[दि प्राइवेट सेक्यूरिटी एजेन्सीज (रेगूलेशन) अधिनियम, 2005 का हिन्दी अनुवाद]

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों और तत्संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों के विनियमन का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमितः-

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "कवचित कार सेवा" से सशस्त्र रक्षकों के अभिनियोजन द्वारा कवचित कर के साथ प्रदान की गई सेवा और ऐसी अन्य संबंधित सेवाएं जो समय-समय पर यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार यह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जा सकेंगी, अभिप्रेत है।

(ख) "नियंत्रक प्राधिकारी" से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त नियंत्रक प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(ग) "अनुज्ञप्ति" से धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है ;

(घ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(च) "प्राइवेट सुरक्षा" से, किसी व्यक्ति या संपत्ति अथवा दोनों का संरक्षण या रक्षा करने के लिए, लोक सेवक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई गई सुरक्षा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कवचित कार सेवा का उपबंध भी है ;

(छ) "प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण" से किसी औद्योगिक या व्यवसाय उपक्रम या किसी कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति को प्राइवेट सुरक्षा सेवाएं जिनके अन्तर्गत प्राइवेट सुरक्षा गार्डों या उनके पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण भी है, उपलब्ध कराने या प्राइवेट सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के कारबार में लगा हुआ सरकारी अभिकरण, विभाग या संगठन से भिन्न कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है ;

(ज) "प्राइवेट सुरक्षा गार्ड" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो शस्त्र सहित या उनके बिना किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति या दोनों को प्राइवेट सुरक्षा प्रदान कर रहा है और इसके अंतर्गत पर्यवेक्षक भी है ;

(झ) संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, "राज्य सरकार" के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उस संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक भी है ;

नियंत्रक प्राधिकारी की नियुक्ति ।

3. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उस राज्य के गृह विभाग में संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी या समतुल्य अधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगी ।

(2) राज्य सरकार, नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए, ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारिवृंद उपलब्ध करा सकेगी जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक समझे ।

व्यक्तियों या प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा अनुज्ञप्ति के बिना प्राइवेट सुरक्षा गार्ड न रखना या उपलब्ध न कराना ।

4. कोई व्यक्ति प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का कारबार तब तक न तो करेगा और न प्रारंभ करेगा जब तक कि उसके पास इस अधिनियम के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति न हो :

परंतु ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का कारबार कर रहा है, ऐसे प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक और यदि उसने एक वर्ष की उक्त अवधि के भीतर ऐसी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया है, तो ऐसे आवेदन के निपटारे तक ऐसा कारबार करता रहेगा :

परन्तु यह और कि कोई प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियंत्रक प्राधिकारी की, जो ऐसी अनुज्ञा देने के पूर्व केन्द्रीय सरकार से परामर्श करेगा, की अनुज्ञा अभिप्राप्त किए बिना विदेश में प्राइवेट सुरक्षा सेवाएं प्रदान नहीं करेगा ।

5. इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए किसी व्यक्ति से आवेदन पर केवल उसके पूर्ववृत्त सम्यक् से सत्यापित करने के पश्चात् ही विचार किया जाएगा । अनुज्ञप्ति के लिए पात्रता ।

6. (1) किसी व्यक्ति पर इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा यदि वह :— अनुज्ञप्ति के लिए अपात्र व्यक्ति ।

(क) किसी कंपनी के संप्रवर्तन, उसके बनाने या प्रबंध के संबंध में (उसके द्वारा कंपनी के संबंध में किया गया कोई कपट या अपकरण है) किसी अपराध का सिद्धदोष किया गया है, जिसके अंतर्गत अनुन्मोचित दिवालिया भी है; या

(ख) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष किया गया है, जिसके लिए विहित दण्ड दो वर्ष से अन्यून का कारावास है ; या

(ग) किसी ऐसे संगठन या संगम से संपर्क रखता है जिसे उनके ऐसे क्रियाकलापों के कारण किसी विधि के अधीन प्रतिबंधित कर दिया गया है जो राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था के लिए खतरा है या ऐसे व्यक्ति के बारे में यह जानकारी है कि वह उन क्रियाकलापों में लिप्त है जो राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है ; या

(घ) अवचार या नैतिक अधमता के आधार पर सरकारी सेवा से पदच्युत किया गया है या हटाया गया है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए किसी कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संगम पर विचार नहीं किया जाएगा, यदि, वह भारत में रजिस्ट्रीकृत नहीं है या जिसका स्वत्वधारी या बहुमत शेयर धारक, भागीदार या निदेशक ऐसा है जो भारत का नागरिक नहीं है ।

7. (1) किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण को अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन नियंत्रक प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में किया जाएगा, जो विहित किया जाए । अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन ।

(2) आवेदक धारा 6 में अंतर्विष्ट उपबंधों के संबंध में ब्यौरे समाविष्ट करते हुए एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा, धारा 9 के उपबंध (2) के अधीन अपेक्षित अपने प्राइवेट सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, है, धारा 11 अधीन पुलिस में रजिस्ट्रीकृत या न्यायालय में लंबित मामलों की, जिनमें आवेदक लिप्त है, शर्तों को पूरा करेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ -

(क) यदि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण किसी राज्य के एक जिले में कार्य कर रहा है तो पांच हजार रुपए की फीस होगी;

(ख) यदि अभिकरण किसी राज्य के एक से अधिक किन्तु पांच जिलों तक में कार्य कर रहा है तो दस हजार रुपए की फीस होगी; और

(ग) यदि संपूर्ण राज्य में कार्य कर रहा है तो पच्चीस हजार रुपए की फीस होगी ।

(4) नियंत्रक प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, और पुलिस प्राधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करते हुए लिखित आदेश द्वारा, आवेदन की पूर्ण विशिष्टियों और विहित

फीस के साथ प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर या तो अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर सकेगा या अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से इंकार कर सकेगा :

परंतु आवेदन अस्वीकार किए जाने का कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि –

(क) आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो; और

(ख) आदेश में वे आधार जिन पर अनुज्ञप्ति से इंकार किया जाता है, वर्णित न किए गए हों ।

(5) इस धारा के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति–

(क) पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगी जब तक कि उसे धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन रद्द नहीं कर दिया जाता;

(ख) पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, समय-समय पर पांच वर्ष की और अवधि के लिए नवीकृत की जा सकेगी; और

(ग) ऐसी शर्तों के अध्यधीन जारी किया जाएगा जो विहित की जाएं ।

अनुज्ञप्ति का नवीकरण ।

8. (1) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन नियंत्रक प्राधिकारी को, अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि की समाप्ति की तारीख से कम-से-कम पैंतालीस दिन पूर्व ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, किया जाएगा और उसके साथ अपेक्षित फीस और इस अधिनियम की धारा 6, धारा 7 तथा धारा 11 के अधीन अपेक्षित अन्य दस्तावेज भी होंगे ।

(2) नियंत्रक प्राधिकारी अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन पर, सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के अन्दर आदेश पारित करेगा ।

(3) नियंत्रक प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे और लिखित आदेश द्वारा, अनुज्ञप्ति का नवीकरण कर सकेगा या उसका नवीकरण करने से इंकार कर सकेगा:

परन्तु यह कि आवेदन अस्वीकार किए जाने का कोई आदेश, आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के सिवाय, नहीं किया जाएगा ।

प्रचालन प्रारंभ करने के लिए और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की शर्त ।

9. (1) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण, अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के छह मास के भीतर, अपने कार्यकलाप प्रारंभ करेगा ।

(2) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण, अपने सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों को ऐसा प्रशिक्षण और कुशलताएं, जो विहित किया जाए, देना सुनिश्चित करेगा :

परन्तु इस अधिनियम को प्रारंभ से पूर्व प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का कारबार करने वाला व्यक्ति ऐसे प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपने सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण सुनिश्चित करेगा ।

(3) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण, अनुज्ञप्ति जारी किए जाने की तारीख से साठ दिन के भीतर, ऐसी संख्या में, जो विहित की जाए, पर्यवेक्षकों को नियुक्त करेगा ।

(4) कोई प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण सुपरवाइजर के रूप में किसी व्यक्ति को तब तक नियोजित नहीं करेगा या नहीं रखेगा जब तक कि वह धारा 10 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा नहीं करता ।

(5) प्राइवेट सुरक्षा गार्डों के पर्यवेक्षक की नियुक्ति करते समय प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण उस व्यक्ति को जिसके पास सेना, नौसेना, वायुसेना, संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल या राज्य पुलिस जिसके अंतर्गत सशस्त्र पुलिस और होम गार्ड में तीन वर्ष से अन्यून की अवधि की सेवा का अनुभव हो, वरीयता देगा ।

प्राइवेट सुरक्षा गार्ड बनने के लिए पात्रता ।

10. (1) कोई प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के रूप में किसी व्यक्ति को तब तक नियोजित नहीं करेगा या नहीं रखेगा जब तक कि—

(क) वह भारत का नागरिक न हो या ऐसे अन्य देश का नागरिक न हो जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ;

(ख) उसने अट्ठारह वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो किन्तु पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त न की हो ;

(ग) उसने अभिकरण का अपने चरित्र और पूर्ववृत्त को ऐसी रीति से जो विहित की जाए, समाधान न कर दिया हो;

(घ) उसने विहित सुरक्षा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो ;

(ङ) वह ऐसे शारीरिक मानदंडों को पूरा न करता हो जो विहित किए जाएं ; और

(च) वह ऐसी अन्य शर्तों को, जो विहित की जाएं, पूरा न करता हो ।

(2) ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है या जिसे संघ के किसी सशस्त्र बल, राज्य पुलिस संगठनों, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण में सेवा करते समय अवचार या नैतिक अधमता के आधारों पर सेवा से पदच्युत किया गया है या हटाया गया है, प्राइवेट सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित या नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

(3) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण, प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के रूप में किसी व्यक्ति को नियोजित करते समय, ऐसे व्यक्ति को अधिमानता दे सकेगा जिसने निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक में उसके सदस्य के रूप में सेवा की है :—

(i) सेना ;

(ii) नौसेना ;

(iii) वायुसेना;

(iv) संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल;

(v) पुलिस, जिसके अंतर्गत राज्यों की सशस्त्र पुलिस भी हैं ; और

(vi) होमगार्ड ।

अनुज्ञप्ति की शर्तें ।

11. (1) राज्य सरकार उन शर्तों को विहित करने लिए नियम विरचित कर सकेगी जिन पर इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाएगी और ऐसी शर्तों में वह अपेक्षाएं, जो उस प्रशिक्षण के विषय में जिसे अनुज्ञप्तिधारी को लेना है, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों जिससे अभिकरण बना है, का ब्यौरा, उन सूचनाओं के विषय में बाध्यताएं जो नियंत्रक प्राधिकारी को समय-समय पर, अपने पते में किसी परिवर्तन, प्रबंध में परिवर्तन और उनके द्वारा प्राइवेट सुरक्षा गार्ड नियोजित या नियुक्त किए जाने पर उनके विरुद्ध ऐसे किसी दाण्डिक आरोप के संबंध में भी जो प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण को दिए

गए कर्तव्यों के पालन के अनुक्रम में या यथास्थिति अंतर्गत होगी ।

(2) राज्य सरकार नियमों में, धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण दिए जाने के बारे में सत्यापन करने और ऐसे प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण जिसने अपेक्षित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने की शर्तों का पालन नहीं किया हो, की अनुज्ञप्ति की निरन्तरता या अन्यथा का पुनर्विलोकन के संबंध में उपबंध कर सकेगी ।

अनुज्ञप्ति का प्रदर्शित किया जाना ।

12. प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अपने कारबार के सहजदृश्य स्थान पर अपनी अनुज्ञप्ति या उसकी प्रति को प्रदर्शित करेगा ।

अनुज्ञप्ति का रद्द और निलंबन ।

13. (1) नियंत्रक प्राधिकारी किसी अनुज्ञप्ति को निम्नलिखित किसी एक या अधिक आधारों पर रद्द कर सकेगा, अर्थात् :--

(क) कि अनुज्ञप्ति तात्विक तथ्यों के व्यपदेशन पर या उनको छुपाकर अभिप्राप्त की गई है ;

(ख) कि अनुज्ञप्तिधारी ने मिथ्या दस्तावेजों या फोटोग्राफों का उपयोग किया है;

(ग) कि अनुज्ञप्तिधारी ने इस अधिनियम के उपबंधों का या इसके अधीन बनाए गए नियमों का या अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का उल्लंघन किया है;

(घ) कि अनुज्ञप्तिधारी ने किसी औद्योगिक या व्यवसायिक उपक्रम या कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति को प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उसके द्वारा अभिप्राप्त की गई जानकारी का दुरूपयोग किया है;

(ङ) कि अनुज्ञप्तिधारी ने, किसी लेटरहेड, विज्ञापन या किसी अन्य मुद्रित सामग्री का उपयोग करके या किसी अन्य रीति से यह व्यपदेशन किया है कि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण सरकार का एक अभिकरण है या ऐसा अभिकरण उस नाम से भिन्न नाम का उपयोग कर रहा है जिस नाम से उसे अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है;

(च) कि अनुज्ञप्तिधारी लोक सेवक के रूप में प्रतिरूपण कर रहा है या किसी व्यक्ति को उस रूप में प्रतिरूपण करने के लिए अनुज्ञा दे रहा है या उसकी सहायता कर रहा है या दुष्प्रेरित कर रहा है;

(छ) कि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर अपने कार्यकलाप प्रारंभ करने में या पर्यवेक्षक नियुक्त करने में असफल रहा था ;

(ज) कि अनुज्ञप्तिधारी किसी व्यक्ति को करार की गई सेवाएं प्रदान करने में स्वेच्छया असफल रहा है या उसने सेवाएं प्रदान करने से इनकार कर दिया है;

(झ) कि अनुज्ञप्तिधारी ने ऐसा कार्य किया है जो किसी न्यायालय के आदेश या किसी विधिपूर्ण प्राधिकारी के आदेश के उल्लंघन में है या वह ऐसे किसी आदेश का उल्लंघन करने के लिए किसी व्यक्ति को सलाह दे रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है या सहायता दे रहा है ;

(ञ) कि अनुज्ञप्तिधारी ने अनुसूची में दिए गए अधिनियमों के उपबंधों का जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उपांतरित किए जा सकेंगे,

उल्लंघन किया है ;

(ट) कि इस बात के अनेक उदाहरण रहे हैं जब प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए सुरक्षा गार्ड :--

(i) प्राइवेट सुरक्षा प्रदान करने में असफल रहा है या रहे हैं या ऐसी सुरक्षा प्रदान न करने में घोर उपेक्षा के दोषी थे;

(ii) ने न्यास भंग किया है या उस संपत्ति या उसके भाग का दुरूपयोजन किया है जिसकी संरक्षा करने की उनसे प्रत्याशा की जाती है ;

(iii) आदतन नशे में या अनुशासनहीन पाये गए थे ;

(iv) अपराध करने में लिप्त पाये गए थे; या

(v) ने उनके प्रभार में रखे गए व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध अपराध की मौनानुमति दी थी या उन्होंने उसके लिए दुष्प्रेरित किया था ।

(ठ) कि अनुज्ञप्ति धारक ने ऐसा कोई कार्य किया है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है या पुलिस को या अन्य प्राधिकारी को उनके कर्त्तव्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान न की हो या उसने ऐसी रीति से कार्य किया है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था या विधि व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो ।

(2) जहां नियंत्रक प्राधिकारी का, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, यह समाधान हो जाता है कि उपर्युक्त उपधारा (1) में वर्णित आधारों में से किसी आधार पर अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के प्रश्न के लंबित रहते हुए ऐसा करना आवश्यक हो गया है कि नियंत्रक प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, अनुज्ञप्ति के प्रचालन को तीस दिन से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, निलंबित कर सकेगा और अनुज्ञप्तिधारी से ऐसे आदेश के जारी किए जाने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर इस बारे में कारण दर्शित करने की अपेक्षा कर सकेगा कि अनुज्ञप्ति का निलंबन, रद्दकरण का प्रश्न अवधारित किए जाने तक क्यों न विस्तारित कर दिया जाए ।

(3) अनुज्ञप्ति के निलंबन या रद्दकरण का प्रत्येक आदेश लिखित में होगा और उसमें ऐसे निलंबन या रद्दकरण के कारण विनिर्दिष्ट होंगे तथा उसकी एक प्रति प्रभावित व्यक्ति को संसूचित की जाएगी ।

(4) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के रद्दकरण का कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

अपील ।

14. (1) धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने या धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन नवीकरण करने से इंकार करने के नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश या धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञप्ति के निलंबन के आदेश या उस धारा की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश के विरुद्ध अपील राज्य सरकार के गृह सचिव को ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर कर सकेगा ;

परंतु साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण की जा सकेगी यदि अपीलार्थी राज्य सरकार का यह समाधान कर देता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में होगी जो विहित किया जाएगा और उसके साथ उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की गई है, एक प्रति होगी ।

(3) राज्य सरकार, अपील का निपटारा करने से पूर्व, अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगी ।

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा रजिस्टर का रखा जाना ।

15. (1) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण एक रजिस्टर रखेगा जिसमें–

(क) उन व्यक्तियों के नाम और पते अंतर्विष्ट होंगे जो प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का प्रबंध कर रहे हैं ;

(ख) उसके नियंत्रणाधीन प्राइवेट सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों के नाम, पते, फोटोग्राफ और वेतन अंतर्विष्ट होंगे ;

(ग) उन व्यक्तियों के नाम और पते अंतर्विष्ट होंगे जिनको उसने प्राइवेट सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराए हैं ; और

(घ) ऐसी अन्य विशिष्टताएं अंतर्विष्ट होंगी जो विहित की जाएं ।

(2) नियंत्रक प्राधिकारी, किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण, पर्यवेक्षक या प्राइवेट सुरक्षा गार्ड से ऐसी जानकारी मांग सकेगा जिसे वह इस अधिनियम के सम्यक् अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे ।

अनुज्ञप्ति आदि का निरीक्षण ।

16. नियंत्रक प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी किसी युक्तियुक्त समय पर, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के परिसर में प्रवेश कर सकेगा और उसके कारबार के स्थान, अभिलेखों, लेखाओं और अनुज्ञप्ति से संबंधित अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण और जांच कर सकेगा तथा किसी दस्तावेज की प्रति ले सकेगा ।

फोटो पहचान पत्र का जारी किया जाना ।

17. (1) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड को, उस प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा, जिसने गार्ड को नियोजित या नियुक्त किया है, फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन फोटो पहचान पत्र ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, जारी किया जाएगा ।

(3) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक अपने साथ उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया फोटो पहचान पत्र रखेगा और नियंत्रक प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए मांग किए जाने पर उसे प्रस्तुत करेगा ।

अप्राधिकृत व्यक्ति की जानकारी का प्रकटन ।

18. (1) कोई व्यक्ति जिसे प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के रूप में नियोजित किया जा सकेगा या नियुक्ति किया गया है या रखा गया है, नियोजक से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को, या किसी ऐसे रीति में और ऐसे व्यक्ति को जिसे नियोजक निदेश दे, किसी कार्य के संबंध में ऐसे नियोजन के दौरान किसी कर्मचारी द्वारा अर्जित कोई जानकारी नहीं देगा जो ऐसे कर्मचारी को ऐसे नियोजक द्वारा समनुदेशित किया गया हो, सिवाय ऐसे प्रकटीकरण के जो इस अधिनियम के अधीन या पुलिस द्वारा किसी जांच या अन्वेषण के संबंध में या किसी प्राधिकारी द्वारा या विधि की प्रक्रिया में अपेक्षित हो ।

(2) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के समस्त प्राइवेट सुरक्षा गार्ड पुलिस को या ऐसे प्राधिकारी को जो ऐसे अभिकरण के क्रियाकलापों से संबंधित किसी अन्वेषण की प्रक्रिया

में आवश्यक सहायता देंगे ।

(3) यदि किसी प्राइवेट सुरक्षा गार्ड द्वारा उसके कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किसी विधि का अतिक्रमण जानकारी में आता है तो वह इसे अपने पर्यवेक्षक की जानकारी में लाएगा, जो नियोजक या अभिकरण के माध्यम से या स्वयं पुलिस को सूचित करेगा ।

प्रत्यायोजन ।

19. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि (धारा 25 के अधीन नियम बनाने की शक्तियों को छोड़कर) ऐसी किसी शक्ति या कृत्य का --

(क) जिसका उसके द्वारा प्रयोग और पालन किया जा सकेगा, या

(ख) जिसका इस अधिनियम के अधीन नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा प्रयोग या पालन किया जा सकेगा,

ऐसे विषय के संबंध में और ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विहित की जाएं, सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी या नियंत्रक प्राधिकारी के अधीनस्थ अधिकारी द्वारा भी जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए प्रयोग और पालन किया जा सकेगा ।

कतिपय उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड ।

20. (1) कोई व्यक्ति जो धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(2) कोई व्यक्ति या प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण जो अधिनियम की धारा 9, धारा 10 और धारा 12 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, अनुज्ञप्ति के निलंबन या रद्दकरण के अतिरिक्त, जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

कतिपय वर्दियों के अप्राधिकृत उपयोग के लिए शास्ति ।

21. यदि कोई प्राइवेट सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक, सेना, वायुसेना, नौसेना, या संघ के किसी अन्य सशस्त्र बल या पुलिस की वर्दी पहनेगा या ऐसी पोशाक पहनेगा जो उस वर्दी से सुभिन्न हो या उस पर सुभिन्न चिन्ह लगे हुए हों, तो वह और प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण का स्वत्वधारी कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

कंपनियों द्वारा अपराध ।

22. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और

दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है ; और

(ख) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

संरक्षण ।

23. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही उस नियंत्रक प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

राज्यों द्वारा अंगीकार के लिए आदर्श नियमों की विरचना ।

24. केन्द्रीय सरकार, समस्त या किसी विषय जिसके संबंध में राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन नियम बना सकेगी, के संबंध में भी नियम विरचित कर सकेगी और जहां किसी ऐसे विषय के संबंध में कोई ऐसे आदर्श नियम विरचित किए जा चुके हैं वहां राज्य सरकार धारा 25 के अधीन उस विषय के संबंध में कोई नियम बनाते समय यथासाध्य ऐसे नियमों की पुष्टि करेगी ।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

25. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया या और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन चरित्र और पूर्व वृत्त के सत्यापन की प्रक्रिया; धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन प्रशिक्षण का प्रकार ; धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन शारीरिक मानदण्ड और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन अन्य शर्तें ;

(ख) धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन नियोजित किए जाने वाले पर्यवेक्षकों की संख्या ;

(ग) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए आवेदन का प्ररूप ;

(घ) वह प्ररूप जिसमें धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाएगी और वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए धारा 11 के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाएगी;

(ङ) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप;

(च) धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन अपील करने के लिए प्ररूप ;

(छ) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्टर में रखी जाने वाली विशिष्टियां ;

(ज) वह प्ररूप जिसमें धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा ;

(झ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, जहां राज्य विधान-मंडल में दो सदन हैं वहां प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां ऐसे विधान-मंडल का एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

(4) संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में, अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए बनाया गया प्रत्येक नियम संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा और जहां विधान सभा विद्यमान है वहां उस विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

अनुसूची

[धारा 13(1)(ञ) देखिए]

(1) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) ।

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) ।

(3) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) ।

(4) कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19)।

(5) बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (1965 का 21) ।

(6) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) ।

(7) उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) ।

(8) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) ।

(9) अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 (1979 का 30) ।